

T.S- 180/10

24.06.19

उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। पुकार पर न्याय पक्ष न्यायालय के उपस्थित हुए। वादी संख्या-1 के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक- 12.03.19 पर उभय पक्षों को सुनाया गया।

वादी संख्या-1 का कथन है कि वादी संख्या-2 देव नंदन चोधरी का देहांत दिनांक- 05.02.19 को हो गया है, जिनके वारिसानों को वाद पत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक- 22.04.19 के द्वारा वादी के उक्त आवेदन का खण्डन किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है एवं समय-सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित ~~के~~ स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तदनुसार मृत वादी संख्या-2 के वारिसान का नाम वाद पत्र में प्रतिस्थापित करें।

दिनांक- 29.07.19 वास्ते अग्रतर कार्रवाई।

अवर न्या०